समाहरणालय, मधेपुरा।

(स्थापना शाखा)

-: आदेश :-

इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक- 147-2/स्था0, दिनांक 03-03-2012 के द्वारा श्री निर्मल राम, उच्च वर्गीय लिपिक, प्रखंड कार्यालय, कुमारखंड को माह नवम्बर, 2011 से एवं श्री भीखा राम, उच्च वर्गीय लिपिक, प्रखंड कार्यालय, कुमारखंड को माह दिसम्बर, 2011 से बिना कोई सूचना के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-9(1-क) के तहत निबंलित करते इनके विरूद्ध प्रपत्र-क में आरोप पत्र गठित कर विभागीय कार्यवाही संचालन करने का निर्णय लिया गया था। परन्तु डेढ़ वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के वावजूद भी प्रखंड विकास पदाधिकारी, कुमारखंड द्वारा प्रपत्र-क में आरोप पत्र गठित कर नहीं भेजा गया है। वर्णित नियमावली के नियम-7 के अनुसार उक्त निलंबनादेश को अगले चार माह के लिए विस्तारित किया जाना संभव नहीं है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 2178 दिनांक 28-02-2007 में निहित प्रावधान के आलोक में सम्पूर्ण विभागीय कार्यवाही को एक वर्ष के अन्दर पूर्ण कर लिया जाना है। दर्शित स्थिति में उक्त कर्मियों को निलंबित रखा जाना नियमानुसार उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतएव प्रशासनिक दृष्टिकोण एवं कार्यहित में इन दोनों कर्मियों को तत्कालिक प्रभाव से निलंबन से मुक्त किया जाता है तथा इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही का संचालन यथावत चलती रहेगी। साथ ही विभागीय कार्यवाही संचालनोपरान्त उसके फलाफल पर अंतिम निर्णय होने तक निलंबनावधि का बकाया वेतनादि का भुगतान स्थगित रखा जाता है।

इसकी सूचना संबंधितों को दी जाय।

ह0/—
जिला पदाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 988-2/स्था0, मधेपुरा, दिनांक 01-11-2013 ।

प्रतिलिपि : श्री निर्मल राम, उच्च वर्गीय लिपिक, प्रखंड कार्यालय, कुमारखंड/ श्री भीखा राम, उच्च वर्गीय लिपिक, प्रखंड कार्यालय, कुमारखंड को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रखंड विकास पदाधिकारी, कुमारखंड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित। उन्हें निदेश दिया जाता है कि 24 घंटे के अन्दर तत्संबंधी प्रपत्र-क में आरोप पत्र साक्ष्य सहित गठित कर भेजना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि : अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/ कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0 01/11/13
जिला पदाधिकारी,
मधेपुरा।